न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

प्रकरण संख्याः– 21/24 (निगरानी)
दर्ज तिथिः– 05/3/24
निर्णय दिनांकः– 05/3/24

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के तहत स्थायी रूप से चालू रास्ते को राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित करने बाबत्।

–:निर्णयः– दिनांकः 05/3/2024

राजस्थान सरकार द्वारा प्रभावी नियम व अधिसूचनाओं के अनुसरण में तहसील बैजूपाडा जिला दौसा पर तहसीलदार बैजूपाडा के पत्रांक/भू.अ./2024/255 दिनांक 01.3.2024 के द्वारा राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक –पं.3(2) एवं भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के तहत मौके पर स्थायी रूप से प्रचलित/चालू रास्तों को राजस्व अभिलेखों में अंकित करने बाबत् प्रस्ताव ग्राम हिंगोटा पटवार हल्का बावडीखेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा के हाल ऑनलाईन जमाबन्दी अनुसार आराजी खसरा नम्बर 723/0.40 में से 0.05, 724/0.70 में से 0.02 किस्म चारागाह कुल भूमि 1.1 है0 में से 0.07 हैक्टयर (07 एयर) को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु मौके पर प्रचलित रास्तों का उक्त भूमि गै0मु0 रास्ता के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज करने की अभिशंषा के साथ प्राप्त हुआ है।

प्राप्त प्रस्ताव में निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न हल्का पटवारी मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावे।

तहसीलदार बैजूपाडा की अभिशंषा रिपोर्ट एवं पटवारी हल्का तथा भू0अ0नि0 द्वारा उपरोक्त भूमि पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नही है एवं सार्वजनिक रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि का संलग्न मानचित्र (नक्शा ट्रेस) में लाल स्याही से अंकितानुसार राजस्व ग्राम हिंगोटा पटवार हल्का बावडीखेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा के हाल ऑनलाईन जमाबन्दी अनुसार आराजी खसरा नम्बर 723/0.40 में से 0.05, 724/0.70 में से 0.02 किस्म चारागाह कुल भूमि 1.1 है0 में से 0.07 हैक्टयर (07 एयर)के उक्त प्रस्तावित खसरा नम्बरान पर रास्ता मौके पर प्रचलित है तथा उक्त खसरा नम्बरान की प्रस्तावित भूमि को मानचित्र एवं राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्तों के रूप में दर्ज किया जाना उचित होगा, अपनी अभिशंषा के साथ अवगत कराया गया है।

राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक–पं.3(2) राज.–6/2008/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है।

अतः आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा प्रस्तावित मौके पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ते हेतु ग्राम हिंगोटा पटवार हल्का बावडीखेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा के हाल ऑनलाईन जमाबन्दी अनुसार आराजी खसरा नम्बर 723/0.40 में से 0.05, 724/0.70 में से 0.02 किस्म चारागाह कुल भूमि 1.1 है0 में से 0.07 हैक्टयर (07 एयर) को राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी व नक्शा) में बिना टाईटल परिवर्तन किये गै0मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। नक्शा ट्रेस इस आदेश का भाग होगा। सम्बन्धित तहसीलदार को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

यह आदेश मेरे द्वारा राज्य सरकार के प्रभावी नियमों एवं अधिसूचनाओं के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नवनीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर

Scanned with CamScanner